

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./16/डी- 643

दिनांक:- 21/9/16

### कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 127वीं बैठक दिनांक: 20.09.16 को अपराह्न 04.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

क्र. सं.	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		127:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 126वीं बैठक दिनांक 10.08.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 113वीं से 126वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 126वीं बैठक दिनांक 10.08.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 113 से 126 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा शेष प्रकरणों की अविलम्ब अनुपालना करने हेतु उपायुक्तों को निर्देश दिए गए।
2.	2	127:2	श्री सईद अहमद पुत्र श्री गुलाम नबी निवासी एस.एस. इलेक्ट्रिक, जयपुर आकडो का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर को आवास संख्या एएल-6, क्षेत्रफल 42.19 वर्गमीटर विद्याधर नगर के दिनांक 05.10.1995 के आवंटन की एवज में विनिमय में आवास गृह संख्या 6 व 8, स्वर्ण जयन्ती गार्डन के पास, सेक्टर-8, विद्याधर नगर, जयपुर के आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-2 द्वारा श्री सईद अहमद पुत्र श्री गुलाम नबी निवासी एस.एस. इलेक्ट्रिक, जयपुर आकडो का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर को आवास संख्या एएल-6, क्षेत्रफल 42.19 वर्गमीटर विद्याधर नगर के दिनांक 05.10.1995 के आवंटन की एवज में विनिमय में आवास गृह संख्या 6 व 8, स्वर्ण जयन्ती गार्डन के पास, सेक्टर-8, विद्याधर नगर, जयपुर के आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में आयुक्त महोदय द्वारा आवास गृह संख्या 7 व 8 आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर एलपीसी में कार्योत्तर स्वीकृति लिये जाने के आदेश दिये थे। किन्तु आवास गृह संख्या 7 पर पुनः अवैध कब्जा हो जाने के कारण आवास गृह संख्या 6 व 8 प्रत्येक क्षेत्रफल 24 वर्गमीटर कुल 48 वर्गमीटर के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। बड़े हुये क्षेत्रफल की राशि आवंटी से जमा करा ली गई है। प्रकरण कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
3.	7	127:3	श्रीमती मधु गुप्ता पत्नी श्री पप्पू कुमार गुप्ता को जविप्रा द्वारा सृजित एवं अनुमोदित विधानसभा सचिवालय समूह आवासीय योजना ग्राम धावास (मेन) में भूखण्ड सं. 146 के स्थान पर अन्य भूखण्ड संख्या 174ए के आवंटन बाबत।	जविप्रा की विधानसभा सचिवालय समूह आवासीय योजना ग्राम धावास (मेन) के भूखण्ड सं. 146 का पट्टा विलेख दिनांक 03.12.05 को श्री राजकुमार पंवार के नाम किया गया था। श्री राजकुमार द्वारा उक्त भूखण्ड दिनांक 06.12.05 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्री मधु गुप्ता को बेचान कर दिया गया। उपायुक्त द्वारा दिनांक 17.01.07 को नियमानुसार नाम हस्तांतरण कर दिया गया। उक्त भूखण्ड पर मंदिर बना होने के कारण श्रीमती मधु गुप्ता द्वारा अन्य भूखण्ड का आवंटन चाहा गया है। अतः उपायुक्त जोन-7 द्वारा श्रीमती मधु गुप्ता पत्नी श्री पप्पू कुमार गुप्ता को जविप्रा द्वारा सृजित एवं अनुमोदित विधानसभा सचिवालय समूह आवासीय योजना ग्राम धावास (मेन) में भूखण्ड सं. 146 पर मंदिर बना होने के कारण अन्य भूखण्ड संख्या 174ए के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 146 के स्थान पर समान माप व समान चौड़ाई की सड़क पर स्थित नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या 174ए विनिमय करने का निर्णय लिया गया।


4.	9	127:4	ग्राम पंचायत दांतली को ग्राम सिरोली में श्मशान के लिए भूमि आरक्षण करने बाबत।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा ग्राम पंचायत दांतली के ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2138 क्षेत्रफल 13.70 हैक्टेयर में से 0.25 हैक्टेयर भूमि श्मशान के लिए आरक्षण करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख-रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम सिरोली के खसरा नं. 2138 में से 2500 वर्गमी. भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख-रखाव का जिम्मा ग्राम पंचायत को दिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
5.	9	127:5	ग्राम पंचायत गोनेर के ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर में श्मशान के लिए भूमि आरक्षण करने बाबत।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा ग्राम पंचायत गोनेर के ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2917 क्षेत्रफल 0.85 किस्म बंजड1 में से 3500 वर्गमी. भूमि व 2726 रकबा 0.23 किस्म बंजड1 में से 400 वर्गमी. भूमि श्मशान के लिए आरक्षण करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख-रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम गोनेर के खसरा नं. 2917 में से 2100 वर्गमीटर व खसरा नं. 2726 में से 400 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख-रखाव का जिम्मा ग्राम पंचायत को दिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके। उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित किया जावे कि दोनों भूमियों का श्मशान हेतु उपयोग किया जा रहा है।
6.	6	127:6	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को अनुमोदित योजना ब्रज कॉलोनी के सुविधा क्षेत्र में भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-6 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को अनुमोदित योजना ब्रज कॉलोनी के सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 2125 वर्गगज में से 1000 वर्गमीटर भूमि पानी की टंकी निर्माण हेतु आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.3(55)नवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 28.06.16 के अनुसरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ब्रज कॉलोनी के सुविधा क्षेत्र की भूमि में से 1000 वर्गमीटर भूमि निरुत्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
7.	12वीं	127:7	ग्राम पीथावास तहसील जयपुर के खसरा नं. 166 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा में से 2000 वर्गमीटर भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन बाबत।	एलपीसी की 102वीं बैठक दिनांक 03.10.13 में ग्राम पीथावास के खसरा नं. 161 में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया था। तदनुसार ही राज्य सरकार की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है। किन्तु उक्त निर्णय में सहवन से खसरा नं. 166 के स्थान पर 161 अंकित हो गया है। अतः उपायुक्त जोन-12वीं द्वारा ग्राम पीथावास तहसील जयपुर के खसरा नं. 166 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा में से 2000 वर्गमीटर भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा एलपीसी की बैठक दिनांक 03.10.13 के प्रस्ताव

				संख्या 102:7 में खसरा नं. 161 के स्थान पर 166 पढा जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उक्तानुसार राज्य सरकार से संशोधित स्वीकृति भी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
8.	15	127:8	श्रीमती अनीता गौतम पत्नी श्री हेमन्त गौतम को सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलावास में आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 1429 के बड़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में।	श्रीमती अनीता गौतम पत्नी श्री हेमन्त गौतम को सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलावास में आवासीय भूखण्ड संख्या 1429 क्षेत्रफल 240 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड का मौके पर क्षेत्रफल 47 वर्गमीटर बढ कर भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 287 वर्गमीटर हो रहा है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट में भूखण्ड के बढे हुए क्षेत्रफल में नया भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता, संबंधी टिप्पणी भी अंकित की है। नगरीय विकास विभाग के आदेश प.3(543)नवि/3/2009 दिनांक 13.10.11 में आवंटन के समय बताये गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल बढ जाने व उसका स्वतंत्र उपयोग संभव न होने पर, बढे हुये क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड न मानते हुये उक्त हिस्सा भूखण्ड का ही अविभाज्य हिस्सा माना है व अधिक क्षेत्रफल को वर्तमान आरक्षित दर पर आवंटित किया जाना उचित माना है। समिति की 121वीं बैठक में इसी के अनुसार निर्णय किए गए है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त बढे हुए क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लेण्ड न मानकर भूखण्ड का अविभाज्य हिस्सा माना जाकर बढा हुआ क्षेत्रफल 47 वर्गमीटर को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
9.	पीआर एन (द.)	127:9	अधिशायी अभियंता (जे.सी.सी.), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर को पृथ्वीराज नगर योजना स्थित सरस्वती एनक्लेव ग्राम कल्याणपुरा में 33/11 केंवी सब स्टेशन स्थापित करने के लिये आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने बाबत।	एलपीसी की 114वीं बैठक दिनांक 19.02.15 में अधिशायी अभियंता (जे.सी.सी.), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर को पृथ्वीराज नगर योजना स्थित सरस्वती एनक्लेव ग्राम कल्याणपुरा में 33/11 केंवी सब स्टेशन स्थापित करने के लिये 764 वर्गगज भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। किन्तु उक्त स्थान पर सब स्टेशन जेडीए द्वारा बनवाया जाना है। अतः आवंटन निरस्त करने हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा जे.वी.वी.एन.एल. को सरस्वती एनक्लेव में 33/11 केंवी सब स्टेशन हेतु किया गया आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
10.	13	127:10	एम.बी. शिक्षा समिति, जयपुर को साईस टेक सिटी योजना, अचरोल में किया गया आवंटन निरस्त करने बाबत।	उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि एलपीसी की 121वीं बैठक दिनांक 04.01.16 में एम.बी. शिक्षा समिति, जयपुर को मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की स्थापना हेतु साईस टेक सिटी योजना, अचरोल के भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 57389.46 वर्गमीटर आवंटन करने हेतु प्रकरण स्क्रीनिंग कमेटी को भिजवाने का निर्णय लिया गया था। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 19.02.16 में संस्था से तीन वर्ष का आय-व्यय का लेखा-जोखा व निवेश हेतु उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। संस्था को उक्त दस्तावेज/सूचना उपलब्ध कराने हेतु दूरभाष पर सूचित किया गया। जवाब प्राप्त न होने पर संस्था को दिनांक 21.03.16 को पत्र लिखा गया। तीन माह बाद भी कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर पुनः स्मरण पत्र दिनांक 14.06.16 को दिया जाकर 7 दिवस का नोटिस जारी किया गया। किन्तु आदिनांक तक कोई दस्तावेज/प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उपायुक्त द्वारा आवंटन करने के निर्णय को निरस्त करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। रिसर्जेन्ट राजस्थान-2015 के अन्तर्गत

				राज्य सरकार व एम.बी. शिक्षा समिति के मध्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया हुआ है। संस्था द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से यह प्रतीत होता है कि संस्था भूमि लेने की इच्छुक नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि संस्था को भूमि आवंटन करने हेतु लिया गया निर्णय निरस्त किया जाकर राज्य सरकार को अवगत कराया जावे।
11.	1	127:11	वाणिज्यिक कर विभाग को नवसृजित वृत्त/घट कार्यालयों हेतु संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में रिक्त प्लॉट नं. जे-13 आवंटन करने बाबत।	श्री आलोक गुप्ता, आई.ए.एस., आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा विभाग के नवसृजित वृत्त/घट कार्यालयों के उपयोग हेतु संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में रिक्त प्लॉट नं. जे-13 क्षेत्रफल 5072 वर्गमीटर आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त द्वारा विभाग को भूखण्ड संख्या जे-13 आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उक्त भूखण्ड का मौके पर क्षेत्रफल 5300 वर्गमीटर है। जिसका उप विभाजन किया जाना संभव नहीं होने से पूर्ण भूखण्ड दिया जाना उचित होगा। समिति द्वारा विचार विमर्श कर वाणिज्यिक कर विभाग को संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर का प्लॉट नं. जे-13 क्षेत्रफल 5300 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-				
12.	13	127:11(1)	नगर निगम, जयपुर को हिंगोनिया गौशाला हेतु राजस्व ग्राम-हिंगोनिया तहसील बस्ती के खसरा नं. 772 रकबा 1.62 हैक्टेयर किस्म चरागाह, खसरा नं. 750 रकबा 38.52 हैक्टेयर, किस्म चरागाह में से 25 है., खसरा नं. 752 रकबा 0.05 है. किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 754 रकबा 2 है. किस्म चरागाह भूमि ग्राम कानड़बास तहसील बस्ती के खसरा नं. 94 मिन रकबा 23.90 है. किस्म चरागाह कुल रकबा 52.57 है. (210 बीघा लगभग) भूमि का आवंटन करने बाबत।	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 15585/2010 में दिनांक 07.09.16 को यह आदेश पारित किया है कि "जो 382 बीघा भूमि चरागाह की है और जिसका गोचर भूमि के रूप में उपयोग में लिये जाने का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में लाल स्याही से किया गया है उस भूमि को नगर निगम के नाम करवाने के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण को पत्र लिखना बताया है, हालांकि उक्त भूमि गोचर व चरागाह की है।" इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम, जयपुर द्वारा अपने पत्रांक 403 दिनांक 19.09.16 के द्वारा जमीन आवंटन का अनुरोध किया है। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.16 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप उपायुक्त जोन-13 द्वारा नगर निगम, जयपुर को गौशाला हेतु राजस्व ग्राम-हिंगोनिया तहसील बस्ती के खसरा नं. 772 रकबा 1.62 हैक्टेयर किस्म चरागाह, खसरा नं. 750 रकबा 38.52 हैक्टेयर, किस्म चरागाह में से 25.00 है., खसरा नं. 752 रकबा 0.05 है. किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 754 रकबा 2.00 है. किस्म चरागाह भूमि व ग्राम कानड़बास तहसील बस्ती के खसरा नं. 94 मिन रकबा 23.90 है. किस्म चरागाह कुल रकबा 52.57 है. (210 बीघा लगभग) भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगर निगम को भूमि आवंटन हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर विचारण कर आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जाने का निर्णय लिया:- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. नगरीय विकास विभाग की भूमि आवंटन नीति-2015 में गौशाला हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान वर्णित नहीं है।</li> <li>2. चाही गई भूमि नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर है।</li> </ol>

				<p>3. प्रस्तावित भूमि का Land Use मास्टर विकास योजना-2025 में इकोलोजिकल वर्णित है व डी.पी.सी.आर. वॉल्यूम-4 के अन्तर्गत इकोलोजिकल भू-उपयोग में अंकित देय उपयोगों में गौशाला का अंकन नहीं है।</p> <p>4. निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार सक्षम है।</p> <p>5. निर्माण प्रारम्भ करने व पूर्ण करने की समयावधि राज्य सरकार के स्तर पर निर्धारित की जावे।</p> <p>6. बिना जविप्रा की अनुमति के नगर निगम उक्त भूमि का हस्तांतरण नहीं करें व जिस उद्देश्य हेतु भूमि आवंटित की गई है, उसका उसी रूप में उपयोग किया जावे।</p> <p>यह निर्णय उपरोक्त बिन्दुओं पर राज्य सरकार के निर्णय के लिए भिजवाये जाने हेतु लिया गया।</p>
13.	9	127:11(2)	गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा, सेक्टर-3, मालवीय नगर, जयपुर को जविप्रा की आवासीय योजना निलय कुंज के संस्थानिक भूखण्ड संख्या 1 व 2 में से 5000 वर्गमी. भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा, सेक्टर-3, मालवीय नगर, जयपुर को जविप्रा की आवासीय योजना निलय कुंज के संस्थानिक भूखण्ड संख्या 1 व 2 में से 5000 वर्गमी. भूमि सीनियर सैकण्डरी स्कूल हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को निलय कुंज योजना में के संस्थानिक भूखण्ड संख्या 1 व 2 में से 4000 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।



सदस्य सचिव

एवं

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियान्त्रिकी-द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली



सदस्य सचिव

एवं

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 127वीं बैठक दिनांक 20.09.16 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोडा, सचिव	सदस्य
3.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
4.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी-द्वितीय)	सदस्य
5.	श्री खजान सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री विष्णु कुमार गोयल, उपायुक्त जोन-1	विशेष आमंत्रित
7.	श्री असलम शेर खान, उपायुक्त जोन-6	विशेष आमंत्रित
8.	श्री रामनारायण बडगुर्जर, उपायुक्त जोन-7	विशेष आमंत्रित
9.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री मातादीन मीणा, उपायुक्त जोन-13	विशेष आमंत्रित
11.	श्री ओम थानवी, तहसीलदार जोन-12	विशेष आमंत्रित
12.	श्री गोविन्द राम ढेनवाल, तहसीलदार जोन-2	विशेष आमंत्रित
13.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित